

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] No. 329] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 2019/ज्येष्ठ 9, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2019/JYAISTHA 9, 1941

, - - - ,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और बांतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

सा.का.िन. 393(अ).—प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिलिप्याधिकार नियम, 2013, जिसे मूल नियम कहा जाता है, में संशोधन करने, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किया है, के लिए कितपय नियमों के निम्नलिखित मसौदे को उक्त धारा की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना को जनता हेतु उपलब्ध कराने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110011 को भेजे जा सकते हैं अथवा इसकी प्रति ipr7-dipp@gov.in को ई-मेल की जा सकती है।

उपर्युक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त मसौदे के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियमावली

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2019 है;
- 2. प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है),-

2708 GI/2019 (1)

- (i) नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में, शब्द "की उप-धारा (1) में यथा परिभाषित प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" के स्थान पर, शब्द "में दिए अनुसार अपीलीय बोर्ड" रखे जाएंगे;
- 3. मूल नियम में, अध्याय Ⅱ में, शीर्षक शब्द "प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" के स्थान पर, शब्द "अपीलीय बोर्ड" रखे जाएंगे"।
- 4. मूल नियम में, मौजूदा नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात –

"3. अपीलीय बोर्ड –

- (1) बोर्ड के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा; "बशर्ते कि, अधिनियम के उद्देश्यों के लिए बोर्ड के तकनीकी सदस्य उप-नियम (2) में निर्दिष्ट योग्यता रखते हों"।
- (2) अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा जब तक कि वह
 - (क) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और उस सेवा के श्रेणी l के पद पर न्यूनतम तीन वर्षों तक पदासीन रहा हो; अथवा
 - (ख) न्यूनतम दस वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, अथवा
 - (ग) प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में तीन वर्षों के अनुभव के साथ किसी प्राधिकरण या सिविल सेवा में सदस्य हो या रहा हो जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो; अथवा
 - (घ) प्रतिलिप्यधिकार कानून में प्रमाणित विशिष्ट अनुभव के साथ कम-से-कम दस वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो:

बशर्ते कि दो में से कम से कम एक सदस्य खंड (क), (ख) अथवा (घ) में निर्दिष्ट योग्यता रखता हो"।

- 5. (i) मूल नियम में, नियम 7 के उप-नियम (1) में, शब्द "पंजीकृत डाक द्वारा" के पहले, शब्द "*इलेक्ट्रोनिक माध्यम से, या"* अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) मूल नियम मे, नियम 7 के उप-नियम (5) में, शब्द "शासकीय राजपत्र में अधिसूचित और" के स्थान पर, शब्द *"प्रकाशित"* रखा जाएगा;
- 6. (i) मूल नियम में, नियम 11 के उप-नियम (4) में, शब्द "प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्टर" के स्थान पर, शब्द "प्रतिलिप्यधिकार का पंजीकार" रखा जाएगा;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 11 के उप-नियम (6) में, शब्द "शासकीय राजपत्र में अधिसूचित और" के स्थान पर, शब्द *"प्रकाशित"* रखा जाएगा;
- 7. मूल नियम में, नियम 16 में, शब्द "यदि अनुरोध करने का निर्णय करता है" के स्थान पर, शब्द "यथा अपेक्षित" रखा जाएगा;
- 8. (i) मूल नियम में, नियम 18 के उप-नियम (1) में, शब्द "पंजीकृत डाक द्वारा" के पहले, शब्द *"इलेक्ट्रोनिक माध्यम से,* या"रखे जाएंगे:
 - (ii) मूल नियम में, नियम 18 के उप-नियम (5) में, शब्द "शासकीय राजपत्र में अधिसूचित और" के स्थान पर, शब्द *"को प्रकाशित*"रखे जाएंगे;
- 9. मूल नियम में, नियम 19 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" आएगा, उसके स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

- 10. मूल नियम में, नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक में, शब्द "शासकीय राजपत्र में और" का लोप किया जाएगा।
- 11. मूल नियम में, नियम 27 के उप-नियम (2) में, शब्द *"शासकीय राजपत्र में और उसे पुनः प्रकाशित किया जाएगा*" का लोप किया जाएगा।
- 12. (i) मूल नियम में, नियम 29 के उप-नियम (1) के तीसरे परंतुक में, शब्द "शासकीय राजपत्र में और" का लोप किया जाएगा;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 29 के उप-नियम (3) में, शब्द "रेडियो या टेलीविज़न प्रसारण के माध्यम से" के स्थान पर, शब्द *"प्रसारण के प्रत्येक माध्यम के लिए" रखे जाएंगे*;
 - (iii) मूल नियम में, नियम 29 के उप-नियम (4) के खंड (ख), (ग) और (छ) में, जहां कहीं भी शब्द "रेडियो या टेलीविज़न प्रसारण के माध्यम से" है, उसके स्थान पर शब्द *"प्रसारण के प्रत्येक माध्यम के लिए" रखे जाएंगे*;
 - (iv) मूल नियम में, नियम 29 के उप-नियम (4) के खंड (ज) में, शब्द *"अर्थात रेडियो, टेलीविज़न या प्रस्तुति"* का लोप किया जाएगा।
- 13. मूल नियम में, नियम 30 के उप-नियम (1) में, शब्द "रेडियो प्रसारण और टेलीविज़न प्रसारण" के स्थान पर, शब्द *"प्रसारण का प्रत्येक माध्यम" रखे जाएंगे*।
- 14. (i) मूल नियम में, नियम 31 के उप-नियम (1) में, शब्द "इसके गठन के ठीक बाद" का लोप किया जाएगा;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 31 के उप-नियम (1) में, जहाँ कहीं भी शब्द "रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण" है, उसके स्थान पर शब्द "प्रसारण का प्रत्येक माध्यम" रखे जाएंगे;
 - (iii) मूल नियम में, नियम 31 के उप-नियम (2) में, शब्द *"शासकीय राजपत्र में और उसे पुनः प्रकाशित किया* जाएगा" का लोप किया जाएगा;
 - (iv) मूल नियम में, नियम 31 के उप-नियम (3) में, शब्द "जन सूचना" के स्थान पर, शब्द *"ऐसी सूचना"* रखे जाएंगे;
 - (v)मूल नियम में, नियम 31 के उप-नियम (3) में, शब्द "प्रारूप" के स्थान पर, शब्द "जनता से संवाद का तरीका" रखे जाएंगे;
 - (vi) मूल नियम में, नियम 31 के उप-नियम (5) में, शब्द "क्रमशः रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण" के स्थान पर शब्द "प्रसारण का प्रत्येक माध्यम" रखे जाएंगे;
 - (vii)मूल नियम में, नियम 31 के उप-नियम (6) में, शब्द "रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण" के स्थान पर, शब्द "प्रसारण का प्रत्येक माध्यम" रखे जाएंगे;
 - (viii) मूल नियम में, नियम 31 के उप-नियम (7) के खंड (ङ) में, शब्द
- "(ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसारणकर्ताओं के बीच फ्रिक्वेंसि मोडुलेशन (एफएम) रेडियो प्रसारण सेवा परिचालित करने के लिए अनुमति अनुदान समझौता (जीओपीए) में शामिल नियम व शर्तें; और"

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, यथा -

"(ङ) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमति के अनुदान में निर्दिष्ट नियम व शर्तें; और" ।

- 15. मूल नियम में, नियम 33 के उप-नियम (1) में, शब्द "शासकीय राजपत्र में" के स्थान पर, शब्द *"इसकी वेबसाइट पर"* रखे जाएंगे।
- 16. (i) मूल नियम में, नियम 34 के उप-नियम (1) में, शब्द "शासकीय राजपत्र में" के स्थान पर, शब्द "इसकी वेबसाइट पर" रखे जाएंगे;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 34 के उप-नियम (3) में, शब्द "शासकीय राजपत्र में सूचना के प्रकाशन के बाद" के स्थान पर, शब्द "ऐसी सूचना की प्राप्ति पर" रखे जाएंगे;
 - (iii) मूल नियम में, नियम 34 के उप-नियम (6) में, शब्द "शासकीय राजपत्र में" का लोप किया जाएगा।
- 17. (i) मूल नियम में, नियम 39 के उप-नियम (1) में, शब्द "पंजीकृत डाक" के पहले, शब्द "इलेक्ट्रोनिक माध्यम से, या" अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 39 के उप-नियम (5) में, शब्द "शासकीय राजपत्र में अधिसूचनार्थ और" का लोप किया जाएगा।
- 18. मूल नियम में, नियम 49 के उप-नियम (1) में, शब्द "प्रतिलिप्यधिकार के पंजीकार द्वारा इसे प्राप्त किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर" का लोप किया जाएगा।
- 19. (i) मूल नियम में, नियम 50 के उप-नियम (2) के खंड (क) में, शब्द *"भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से नीचे नहीं"* का लोप किया जाएगा;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 50 के उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा।
- 20. मूल नियम में, नियम 55 के उप-नियम (2) में, शब्द "नियम 71" के स्थान पर, शब्द *"नियम 67"* रखे जाएंगे।
- 21. (i) मूल नियम में, नियम 56 के उप-नियम (1) में, शब्द "गठन" के बाद, शब्द *"और प्रकाशित"* अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 56 के उप-नियम (4) में, शब्द *"और जाएगा"* का लोप किया जाएगा;
 - (iii) मूल नियम में, नियम 56 के उप-नियम (4) में, शब्द "उपयोक्ता समूहों से परामर्श" के बाद, निम्न शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे –

"और यह भी विचार करेगा:

- (a) विभिन्न अनुभागों में दर की तुलना;
- (b) आर्थिक शोध:
- (c) कार्य के प्रयोग की प्रकृति और क्षेत्र;
- (d) प्रयोग में अधिकारों का वाणिज्यिक मान;
- (e) लाइसेंसधारियों का लाभ;"
- 22. (i) मूल नियम में, नियम 57 के उप-नियम (3) और (4) को हटा दिया जाएगा;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 57 के उप-नियम (5) के खंड (क) और (ख), यथा:
 - "(क) कार्य के वाणिज्यिक दोहन के संदर्भ में रॉयल्टी का प्रचलित मानक: और
 - (ख) ऐसे अन्य मामले जिसे बोर्ड संगत समझे।"

के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, यथा:

- "(क) कार्य की श्रेणी;
- (ख) कार्य के प्रयोग की प्रकृति;
- (ग) जनता से संवाद का तरीका.
- (घ) कार्य के संदर्भ में रॉयल्टी का प्रचलित मानक:
- (ङ) प्रयोग में अधिकारों का वाणिज्यिक मान;
- (च) लाइसेंसधारियों का लाभ;
- (छ) ऐसे अन्य मामले जिसे बोर्ड संगत समझे।"
- 23. मूल नियम में, नियम 58 के उप-नियम (10) के बाद, निम्न नए उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे-
 - "(11) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाँ उप-नियम (8) में निर्धारित समय के भीतर रॉयल्टी का वितरण नहीं किया गया क्योंकि संबद्ध लेखक या अन्य स्वत्वधारी की पहचान या निर्धारण नहीं किया जा सका, वह रॉयल्टी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के लेखा में अलग रखी जाएगी;
 - (12) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे और प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी वेबसाइट पर निम्न सूचना अवश्य प्रकाशित करनी होगी:
 - (क) कार्य का शीर्षक;
 - (ख) लेखक और अन्य स्वत्वधारियों के नाम, जैसा उपलब्ध हो; और
 - (ग) अन्य कोई संगत सूचना जो अधिकार धारकों की पहचान में सहायता करे।
 - (13) जिस वित्तीय वर्ष में रॉयल्टी संग्रहित हुई, उसकी समाप्ति से तीन वर्ष की अवधि तक यदि लेखक और अन्य स्वत्वधारियों को दी जाने वाली रॉयल्टी अवितरित रहती है तो प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के भीतर लाइसेंसधारी को वह राशि वापस करेगी;

सिविल कार्यवाही की सीमित अविध के अनुसार यह उप-नियम किसी लेखक और अन्य स्वामी के प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अथवा लाइसेंसधारी, जैसा भी संदर्भ हो, से उस धनराशि का दावा करने का पूर्वाग्रह रखता है।"

- 24. मूल नियम में, नियम 59 के उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, यथा-
 - "(7) शासकीय परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का निर्वाचन दो वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा और वे पुनर्निर्वाचित होने के योग्य होंगे"
- 25. मूल नियम में, नियम 61 के मौजूदा उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, यथा-
 - "(5) प्रत्येक सदस्य को आम सभा बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार होगा और मताधिकार का प्रयोग निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक के आधार पर उचित और आनुपातिक तरीके से निर्धारित और लागू किए गए तरीके से किया जाएगा:
 - (क) कार्यों और अधिकारों की संख्या या स्वत्वधारी द्वारा अधिकृत अधिकारों का संग्रह
 - (ख) सदस्यता की अवधि

- (ग) किसी सदस्य को प्राप्त अथवा देय राशि।"
- 26. मूल नियम में, नियम 62 के खंड (viii) के बाद, निम्न नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा–
 - "(ix) नियम 65क के तहत प्रदत्त वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट।"
- 27. मूल नियम में, नियम 64 में, शब्द "निम्न रजिस्टर को बनाए रखना" के बाद, शब्द "*फिजिकल अथवा डिजिटल रूप में*," अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 28. मूल नियम में, नियम 65 के खंड (vii) के बाद, निम्न नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा–
 - "(viii) नियम 65क के तहत प्रदत्त वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट।"
- 29. मूल नियम में, नियम 65 के बाद, निम्न नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-
 - **65क . वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट**—(1) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर उस वित्तीय वर्ष के लिए एक विशेष रिपोर्ट की रूपरेखा बनाकर उसे सार्वजनिक करेगी जिसे वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट कहा जाएगा। प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वह कम-से-कम तीन वर्षों तक उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहे।
 - (2) वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट में निम्न सूचनाएं अवश्य होनी चाहिए —
 - (क) वित्तीय वर्ष में गतिविधियों पर रिपोर्ट;
 - (ख) लाइसेंस अनुदान अस्वीकृत करने की सूचना;
 - (ग) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की विधिक और प्रशासन संरचना का विवरण;
 - (घ) नियम 67 के तहत प्रदत्त कल्याण योजना के तहत संचालित गतिविधियों के उद्देश्य से ली गई धनराशि के उपयोग का विवरण;
 - (ङ) प्रबंधित अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अधिकार राजस्व की वित्तीय सूचना और प्रत्येक प्रकार के उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए प्रसारण, सार्वजनिक प्रस्तुति, आदि), इस सूचना सहित—
 - (i) अधिकार राजस्व में निवेश से उत्पन्न आय, यदि कोई हो;
 - (ii) इस आय का उपयोग (चाहे वह आधिकारधारकों को वितरित कर दिया गया या अन्य तरीके से प्रयोग किया गया हो);
 - (iii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा उसके सदस्यों को अधिकार प्रबंधन और अन्य सेवाओं की लागत पर वित्तीय सूचना, और
 - (iv) प्रबंधित अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के विवरण के साथ रॉयल्टी से संकलित कटौती और उस कटौती का उद्देश्य;
 - (च) लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों को लंबित रॉयल्टी की वित्तीय सूचना निम्न विवरण के साथ—
 - (i) प्रबंधित अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी और उसके उपयोग का प्रकार के विवरण के साथ लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों को दी जाने वाली कुल रॉयल्टी;
 - (ii) प्रबंधित अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी और उसके उपयोग का प्रकार के विवरण के साथ लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों को दी गई कुल रॉयल्टी;
 - (iii) प्रबंधित अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी और उसके उपयोग का प्रकार के विवरण के साथ भुगतान की आवृत्ति;

- (iv) प्रबंधित अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के विवरण के साथ लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों को दी जाने वाली कुल रॉयल्टी जिसे संग्रह किया गया लेकिन अब तक निर्धारण बाकी है और उसके उपयोग का प्रकार तथा उस वित्तीय वर्ष का उल्लेख जिसमें वह धनराशि संग्रहित की गई;
- (v) प्रबंधित अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के विवरण के साथ लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों को दी जाने वाली कुल रॉयल्टी जिसका वितरण अब तक बाकी है और उसके उपयोग का प्रकार तथा उस वित्तीय वर्ष का उल्लेख जिसमें वह धनराशि संग्रहित की गई;
- (vi) जहाँ प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ने नियम 58 के उप-नियम (8) के तहत प्रदत्त अवधि के भीतर वितरण और भुगतान नहीं किया है और इस देरी का कारण, और
- (vii) अज्ञात लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों को संदेय रॉयल्टी का विवरण और अवितरित रॉयल्टी, यदि कोई हो; और:
- (छ) विदेशी सोसाइटी या संगठन के साथ संबंध की सूचना, निम्न विवरण के साथ—
 - (i) अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के विवरण के साथ किसी विदेशी सोसाइटी या संगठन से प्राप्त या उसे प्रदत्त धनराशि, प्रत्येक प्रकार के उपयोग और प्रत्येक प्रकार के संगठन के लिए;
 - (ii) अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के विवरण के साथ किसी विदेशी सोसाइटी या संगठन को संदेय अधिकार राजस्व से लिया गया प्रबंधन शुल्क और अन्य कटौतियाँ, प्रत्येक प्रकार के उपयोग और प्रत्येक प्रकार के संगठन के लिए;
 - (iii) अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के विवरण के साथ किसी विदेशी सोसाइटी या संगठन द्वारा प्रदत्त धनराशि से प्रबंधन शुल्क और अन्य कटौतियाँ और प्रत्येक प्रकार के संगठन के लिए;"
- 30. मूल नियम में, नियम 66 के उप-नियम (1) के खंड (I) के बाद, निम्न नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा–
 - "(ड) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के प्रदर्शनों की सूची के अंश के रूप में कार्य के डाटाबेस से खोज की सुविधा।
 - (ढ) आम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट।
 - (ण) वैसे लेखक और अन्य स्वत्वधारी जिनकी पहचान या निर्धारण नहीं किया जा सका उनके कार्य के लिए अवितरित रॉयल्टी का विवरणां
- 31. मूल नियम में, नियम 68 के उप-नियम (4) के तहत व्याख्या 3 का लोप किया जाएगा।
- 32. (i) मूल नियम में, नियम 69 के उप-नियम (1) में, शब्द "फिजिकल और इलेक्ट्रोनिक" के स्थान पर, शब्द *"फिजिकल अथवा इलेक्ट्रोनिक"* रखे जाएंगे;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 69 के उप-नियम (1) के भाग VI में शब्द *"सारणी और संकलन कंप्यूटर डाटाबेस सहित*"का लोप किया जाएगा।
- 33. मूल नियम में, नियम 70 के उप-नियम (5) में, शब्द "स्रोत और वस्तु कोड" के स्थान पर, शब्द *"स्रोत कोड के न्यूनतम* प्रथम 10 और अंतिम 10 पृष्ठ अथवा पूरा स्रोत कोड यदि 20 पृष्ठ से कम हो, जिसमें कोई अवरोधित/या संपादित अंश न हो,"रखे जाएंगे।

- 34. (i) मूल नियम में, नियम 72 के उप-नियम (1) में, शब्द "फिजिकल और इलेक्ट्रोनिक दोनों" के स्थान पर, शब्द *"फिजिकल अथवा इलेक्ट्रोनिक"* रखे जाएंगे;
 - (ii) मूल नियम में, नियम 72 के उप-नियम (2), यथा-
 - "प्रत्येक इंडेक्स को कार्ड के रूप में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।" का लोप किया जाएगा।
- 35. (i) मूल नियम में, नियम 79 के उप-नियम (1) में, शब्द "फॉर्म-XVI के अनुसार केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और इसके साथ द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क दिया जाएगा" के स्थान पर, शब्द "सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन विहित बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित वस्तु) प्रवर्तन नियम, के अनुसार कमिश्नर और परवर्ती प्रक्रिया", रखे जाएंगे।
 - (ii) मूल नियम में, नियम 79 के उप-नियम (2), (3), (4) & (5) का लोप किया जाएगा।
- 36. मूल नियम में, नियम 82 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, यथा-
 - "82. **कॉपीराइट कार्यालय द्वारा संचार का तरीका, आदि** बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, या प्रतिलिप्यधिकार पंजीकार की प्रत्येक लिखित सूचना द्वारा किसी व्यक्ति को विधिवत सूचित किया माना जाएगा यदि वह सूचना उस व्यक्ति के ज्ञात पते पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से, या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाएगी"।
- 37. (i) मूल नियम में, नियम 83 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, यथा-
 - **"83. शुल्क-** (1) आवेदन या अन्य किसी मामले में इस अधिनियम और नियम के तहत संदेय शुल्क द्वितीय अनुसूची में यथा निर्दिष्ट शुल्क होगा।
 - (2) जहाँ किसी मामले के संदर्भ में इस नियम के तहत शुल्क दिया जाना हो तो उस फॉर्म या आवेदन या उसके आवेदन के अनुरोध के साथ विहित शुल्क दिया जाएगा।
 - (3) शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रोनिक या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से पंजीकार, प्रतिलिप्यधिकार, के नाम से नई दिल्ली मे किसी अनुसूचित बैंक पर देय किया जाएगा।
 - (4) जहाँ शुल्क का भुगतान किसी दस्तावेज़ को दाखिल करने के लिए किया जाना हो और जहाँ दस्तावेज़ बिना शुल्क के या अपर्याप्त शुल्क के साथ दाखिल किया गया है, तो उस दस्तावेज़ को इन नियमों के तहत किसी कार्यवाही के उद्देश्य के लिए दाखिल नहीं किया गया सा मान लिया जाएगा।
 - (5) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर या इंडेक्स से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शासकीय उद्देश्य से लिए गए उद्धरण के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं है।"
- 38. (i) मूल नियम में, प्रथम अनुसूची में, फार्म II, III, V, VI और VII में, जहां कहीं भी शब्द व विराम चिह्न "प्रतिलिप्यधिकार के पंजीकार/" होंगे, उनका लोप किया जाएगा।
 - (ii) मूल नियम में, प्रथम अनुसूची में, फार्म II, III, V, VI और VII में, जहां कहीं भी शब्द "प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" होगा, उसके स्थान पर शब्द "*अपीलीय बोर्ड"* रखा जाएगा।
 - (iii) मूल नियम में, प्रथम अनुसूची में, फार्म II, III, V, VI और VII में जहां कहीं भी शब्द "प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय" होगा, उसका लोप किया जाएगा।

- (iv) मूल नियम में, प्रथम अनुसूची में, फार्म XIV में, शब्द "प्रतिलिप्यधिकार नियम 2012" के स्थान पर शब्द "प्रतिलिप्यधिकार नियम 2013" रखे जाएंगे।
- 39. (i) मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची मे क्रम संख्या 9 के खंड (ख) में, शब्द "साहित्यिक या" का लोप किया जाएगा।
 - (ii) मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची मे क्रम संख्या 9 के खंड (ख) में, शब्द "वस्तु" के बाद शब्द "या सेवाएँ" अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 40. (i) मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची मे क्रम संख्या 10 के खंड (ख) में, शब्द "साहित्यिक या" का लोप किया जाएगा।
 - (ii) मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची मे क्रम संख्या 10 के खंड (ख) में, शब्द "वस्तु" के बाद शब्द "या सेवाएँ" अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 41. मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची मे क्रम संख्या 19 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. पी-24029/2/2019-आईपीआर-VII]

राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2019

G.S.R. 393(E).—The following draft of certain rules to amend Copyright Rules, 2013 referred as the principal rules, which the Central Government proposes to do in exercise the powers conferred by section 78 of the Copyright Act, 1957, is hereby published, as required by sub-section (3) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestion, if any, may be sent to the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110011 or copy can be mailed at ipr7-dipp@gov.in.

Any objections or suggestions received from any person will respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

- 1. (1) These rules may be called the Copyright (Amendment) Rules, 2019;
- 2. In the Copyright Rules, 2013 (herein after referred to as the principal rules),-
 - (i) In clause (b) of sub-rule (1) of rule 2, for the words "a Copyright Board as defined in sub-section (1) of " shall be substituted by the words "the Appellate as provided in";
- 3. In the principal rules, in Chapter II, for the title words "THE COPYRIGHT BOARD" shall be substituted by the words "THE APPELLATE BOARD".
- 4. In the principal rules, for the existing rule 3, the following rule shall be substituted, namely-

"3. Appellate Board -

(1) The Chairman and other members of the Board shall be appointed as per the provisions of the Trade Marks Act, 1999;

Provided that the Technical Member of the Board for the purposes of the Act shall have the qualifications as specified in sub-rule (2).

- (2) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member for the purposes of this Act unless he—
 - (a) is or has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that Service for atleast three years; or
 - (b) has, for at least ten years, held a judicial office; or
 - (c) is or has been a Member of a Tribunal or Civil Service not below the rank of a Joint Secretary to Government of India or equivalent with three years' experience in the field of Copyright; or
 - (d) has, for atleast ten years, been an advocate of a proven specialized experience in Copyright Law.

Provided that at least one member out of the two shall have the qualification as prescribed under clause (a), (b) or (d)."

- 5. (i)In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 7, before the words "by registered post", the words "through electronic means or" shall be inserted;
 - (ii) In the principal rules, in sub-rule (5) of rule 7, for the words "notified in the Official Gazette and", the word "published" shall be substituted.
- 6. (i) In the principal rules, in sub-rule (4) of rule 11, for the words "Register of Copyright", the words "Registrar of Copyrights" shall be substituted;
 - (ii) In the principal rules, in sub-rule (6) of rule 11, for the words "notified in the Official Gazette and", the word "published" shall be substituted;
- 7. In the principal rules, in rule 16, for the words "if decides to make a request", the words "as required" shall be substituted;
- 8. (i) In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 18, before the words "by registered post", the words "through electronic means or" shall be inserted;
 - (ii) In the principal rules, in sub-rule (5) of rule 18, for the words "notified in the Official Gazette and", the word "published on" shall be substituted.
- 9. In the principal rules, in rule 19, wherever the words "Copyright Board" appears, the word "Board" shall be substituted.
- 10. In the principal rules, in second proviso of sub-rule (1) of rule 23, for the words "in the Official Gazette and", shall be omitted.
- 11. In the principal rules, in sub-rule (2) of rule 27, the words "in the Official Gazette and the same to be republished" shall be omitted.
- 12. (i) In the principal rules, in third proviso of sub-rule (1) of rule 29, for the words "in the Official Gazette and", shall be omitted;
 - (ii) In the principal rules, in sub-rule (3) of rule 29, for the words "by way of radio broadcast or television broadcast", the words "for each mode of broadcast" shall be substituted:
 - (iii) In the principal rules, in clause (b), (c) and (g) of sub-rule (4) of rule 29, wherever the words "by way of radio broadcast, television broadcast", the words "for each mode of broadcast" shall be substituted;
 - (iv) In the principal rules, in clause (h) of sub-rule (4) of rule 29, the words ", i.e. radio, television or performance" shall be omitted.
- 13. In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 30, for the words "radio broadcasting and television broadcasting", the words "each mode of broadcast" shall be substituted.
- 14. (i) In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 31, the words "immediately after its constitution" shall be omitted;
 - (ii) In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 31, wherever the words "radio and television broadcasting", the words "each mode of broadcast" shall be substituted;
 - (iii) In the principal rules, in sub rule (2) of rule 31, the words "in the Official Gazette and shall be re-published" shall be omitted;

- (iv) In the principal rules, in sub-rule (3) of rule 31, for the words "public notice", the words "such notice" shall be substituted;
- (v) In the principal rules, in sub-rule (3) of rule 31, for the word "formats", the words "modes of communication to public" shall be substituted;
- (vi) In the principal rules, in sub-rule (5) of rule 31, for the words "radio and television broadcasting respectively", the words "each mode of broadcast" shall be substituted;
- (vii) In the principal rules, in sub-rule (6) of rule 31, for the words "radio and television broadcast", the words "each mode of broadcast" shall be substituted;
- (viii) In the principal rules, in clause (e) of sub-rule (7) of rule 31, for the words
 - "(e) the terms and conditions included in the Grant of Permission Agreement (GOPA) between Ministry of Information and Broadcasting and the broadcaster for Operating Frequency Modulation (FM) Radio Broadcasting Service; and"

the following words shall be substituted, namely-

- "(e) the terms and conditions specified in grant of permission by the relevant authority; and".
- 15. In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 33, for the words "in the Official Gazette", the words "on its website" shall be substituted.
- 16. (i) In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 34, for the words "in the Official Gazette", the words "on its website" shall be substituted;
 - (ii) In the principal rules, in sub-rule (3) of rule 34, for the words "after the publication in the Official Gazette of the notice", the words "of receipt of such notice" shall be substituted;
 - (iii)In the principal rules, in sub-rule (6) of rule 34, the word "in the Official Gazette and" shall be omitted.
- 17. (i) In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 39, before the words "by registered post", the words "through electronic means or" shall be inserted:
 - (ii)In the principal rules, in sub-rule (5) of rule 39, the word "notified in the Official Gazette and be", shall be omitted.
- 18. In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 49, the words ", within a period of sixty days from the date of its receipt by the Registrar of Copyrights" shall be omitted.
- 19. (i) In the principal rules, in clause (a) of sub-rule (2) of rule 50, the words "not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India" shall be omitted;
 - (ii) In the principal rules, sub-rule (3) of rule 50 shall be omitted.
- 20. In the principal rules, in sub-rule (2) of rule 55, for the words "rule 71" the words "rule 67" shall be substituted.
- 21. (i) In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 56, after the word "frame" the words "and publish" shall be inserted:
 - (ii) In the principal rules, in sub-rule (4) of rule 56, the words "and may" shall be omitted;
 - (iii) In the principal rules, in sub-rule (4) of rule 56, after the words "consult the user groups" the following words shall be inserted –

"and may also consider:

- (a) cross-sectional tariff comparisons;
- (b) economic research;
- (c) the nature and scope of the use of the work;
- (d) the commercial value of the rights in use;
- (e) the benefits to licensees;"

- 22. (i) In the principal rules, sub-rule (3) & (4) of rule 57 shall be deleted;
 - (ii)In the principal rules, for the clauses (a) & (b) of sub-rule (5) of rule 57, namely:
 - "(a) the prevailing standards of royalties in regard to such commercial exploitation of works; and
 - (b) such other matters as may be considered relevant by the Board."

The following clauses shall be substituted, namely:

- "(a) class of works;
- (b) nature of use of work;
- (c) modes of communication to public.
- (d) prevailing standards of royalties with regard to such works;
- (f) commercial value of the rights in use;
- (g)benefits to licensees;
- (h) such other matters as may be considered relevant by the Board."
- 23. In the principal rules, after sub-rule (10) of rule 58, the following sub-rules shall be inserted
 - "(11) A copyright society must ensure that where the royalty cannot be distributed within the time specified in sub-rule (8) as the relevant author or other owner could not be identified or located, such royalties are kept separate in the accounts of the copyright society;
 - (12) A copyright society must take all necessary measures to identify and locate the authors and other owners and must publish on its website, at the end of every quarter, the following information:
 - (a) the title of the work;
 - (b) the name of the author and other right owners of the work, as available; and
 - (c) any other relevant information available which could assist in identifying the right holder.
 - (13) In case the royalty due to author and other owners remains undistributed at the end of the period of three years from the end of the financial year in which collection of the royalty occurred, the copyright society shall refund such amount to the licensee within a period of three months from the end of such financial year;

Nothing in this sub-rule shall prejudice the right of an author and other owner to claim such amounts from the copyright society or the licensee, as the case may be, in accordance with the limitation period applicable to such civil proceedings."

- 24. In the principal rules, the sub-rule (7) of rule 59, shall be substituted, namely: -
 - "(7) The Chairman and other members, of the Governing Council shall be elected for a term of two years and shall be eligible for re-election."
- 25. In the principal rules, for the existing sub-rule (5) of rule 61, the following sub-rule shall be substituted, namely-
 - "(5) Every member of the society shall have the right to participate in and to exercise voting rights at the General Body Meeting in a manner determined and applied in a fair and proportionate manner on the basis of one or more of the following criteria:
 - (a) number of works and rights or set of rights authorized by the owner;
 - (b) duration of the membership;
 - (c) amounts received or due to a member."
- 26. In the principal rules, after clause (viii) of rule 62, the following new clause shall be inserted-
 - "(ix) The annual transparency report as provided under Rule 65A."
- 27. In the principal rules, in rule 64, after the words "maintain the following registers" the words "in physical or digital format," shall be inserted.

- 28. In the principal rules, after clause (vii) of rule 65, the following new clause shall be inserted, namely—
 - "(viii) The annual transparency report as provided under Rule 65A."
- 29. In the principal rules, after rule 65, the following new rule shall be inserted, namely
 - **65A.** Annual transparency report —(1) The copyright society must draw up and make public a special report to be referred to as the annual transparency report for each financial year within six months following the end of that financial year. The copyright society shall publish on its website the annual transparency report and ensure that the annual transparency report remains available on its website for at least three years.
 - (2) The annual transparency report must contain the following information—
 - (a) report on the activities in the financial year;
 - (b) information on refusals to grant a licence;
 - (c) a description of the legal and governance structure of the copyright society;
 - (d) the details and use of the amounts deducted for the activities conducted under the Welfare Scheme as provided under Rule 67;
 - (e) financial information on rights revenue for each category of rights administered and for each type of use (for example broadcast, public performance, etc.), including information on—
 - (i) the income arising from the investment of rights revenue, if any;
 - (ii) use of such income (whether it is distributed to right holders or otherwise used);
 - (iii) financial information on the cost of rights administration and other services provided by the copyright society to its members, and
 - (iv) deductions made from royalty collected with a breakdown for each category of rights administered and the purpose of the deduction;
 - (f) financial information on royalties due to the author and other owners with a description of the following—
 - (i) the total royalties attributed to author and other owners with a breakdown for each category of rights administered and type of use;
 - (ii) the total royalties paid to author and other owners, with a breakdown for each category of rights administered and type of use;
 - (iii) the frequency of payments with a breakdown for each category of rights administered and type of use;
 - (iv) the total royalties collected but not yet attributed to author and other owners with a breakdown for each category of rights administered and type of use and indicating the financial year in which those amounts were collected;
 - (v) the total royalties attributed to, but not yet distributed to, author and other owners with a breakdown for each category of rights administered and type of use and indicating the financial year in which those amounts were collected;
 - (vi) where a copyright society has not carried out the distribution and payments within the period provided for under sub-rule (8) of Rule 58, the reason for the delay; and
 - (vii) the details of the royalty paid to the unidentified authors and other owners and undistributed royalties, if any; and;
 - (g) information on relationships with the foreign societies or organisation, with a description of the following—
 - (i) amounts received from and paid to the foreign societies or organisation with a breakdown for each category of rights, for each type of use and for each organisation;
 - (ii) administration fees and other deductions from the rights revenue due to the foreign societies or organisation with a breakdown for each category of rights, for each type of use and for each organisation;

- (iii) administrative fees and other deductions from the amounts paid by foreign societies or organisation with a breakdown for each category of rights and for each organisation."
- 30. In the principal rules, after clause (l) of sub-rule (1) of rule 66, the following new clause shall be inserted, namely-
 - "(m) the facility to search from the database of works forming part of the repertoire of the copyright society.
 - (n) the annual transparency report as approved by the General Body.
 - (o) the details of the undistributed royalties on account of the work belonging to authors and other owners who could not be identified or located."
- 31. In the principal rules, Explanation 3 under sub-rule (4) of rule 68 shall be omitted.
- 32. (i)In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 69, for the words "physical and electronic", the words "physical or electronic" shall be substituted;
 - (ii) In the principal rules, in Part VI of sub-rule (1) of rule 69, the words ", tables and compilations including computer databases" shall be omitted.
- 33. In the principal rules, in sub-rule (5) of rule 70, for the words "the source and object code", the words "at least first 10 and last 10 pages of source code, or the entire source code if less than 20 pages, with no blocked out or redacted portions", shall be substituted.
- 34. (i) In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 72, for the word "both in physical and electronic", the word "in physical or electronic" shall be substituted;
 - (ii) In the principal rules, sub-rule (2) of rule 72, namely-
 - "Every Index shall be arranged alphabetically in the form of cards." shall be omitted.
- 35. (i) In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 79, for the words "Central Board of Excise and Customs in accordance in Form-XVI and shall be accompanied by fee as specified in the Second Schedule", the words "Commissioner, and the subsequent procedure thereafter shall be in accordance with the Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, prescribed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962)";
 - (ii) In the principal rules, sub-rules (2), (3), (4) & (5) of rule 79 shall be omitted.
- 36. In the principal rules, rule 82 shall be substituted with the following rule, namely-
 - "82. Mode of Communication by the Copyright Office, etc.— Every written intimation from the Board, the Copyright Office or the Registrar of Copyrights shall be deemed to have been duly communicated to any person if such intimation is sent to the known address of such person through electronic means or by registered post".
- 37. (i) In the principal rules, rule 83 shall be substituted with the following rule, namely-
 - "83. Fees- (1) The fees to be paid in respect of applications or any other matters under the Act and the rules shall be those as specified in the Second Schedule.
 - (2) Where in respect of any matter, a fee is required to be paid under the rules, the form or the application or the request of the petition thereof, it shall be accompanied by the prescribed fee.
 - (3) Fees may be paid electronically or by demand draft or Banker's Cheque in favour of the Registrar of Copyrights drawn on a scheduled bank at New Delhi.
 - (4) Where a fee is payable in respect of filing of a document and where the document is filed without such fee or with insufficient fee, such document shall be deemed not to have been filed for the purposes of any proceedings under these rules.
 - (5) No fee is required to be paid for taking extracts from Register of Copyrights or indexes for official purposes by the Central Government or the State Government."
- 38. (i) In the principal rules, in the First Schedule, in FORMS II, III, V, VI and VII, wherever the words and punctuation "Registrar of Copyrights/", occur, the same shall be omitted.
 - (ii) In the principal rules, in the First Schedule, in FORMS II, III, V, VI and VII, wherever the words "Copyright Board" occur, the same shall be substituted with the words "Appellate Board".

- (iii) In the principal rules, in the First Schedule, in FORMS II, III, V, VI and VII, wherever the words "Copyright Office" occur, the same shall be omitted.
- (iv) In the principal rules, in the First Schedule, in Form XIV, for the words "the Copyright Rules, 2012", the words, "the Copyright Rules, 2013", shall be substituted.
- 39. (i) In the principal rules, in clause (b) of serial number 9 of Second Schedule, the word "Literary or" shall be omitted.
 - (ii) In the principal rules, in clause (b) of serial number 9 of Second Schedule, after the word "goods", the words "or services" shall be inserted.
- 40. (i) In the principal rules, in clause (b) of serial number 10 of Second Schedule, the word "Literary or" shall be omitted.
 - (ii) In the principal rules, in clause (b) of serial number 10 of Second Schedule, after the word "goods", the words "or services" shall be inserted.
- 41. In the principal rules, serial number 19 of the Second Schedule shall be omitted.

[F. No. P-24029/2/2019-IPR-VII]

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.